**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 17/2016 (उदयपुर डिक्री)**

पूनमचन्द लबाना पिता श्री मावजी लबाना, निवासी पुलिस लाईन के पीछे, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. अध्यक्ष, नगर पालिका मण्डल, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. नगर पालिका मण्डल, नगर पालिका, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 29.02.2016, प्र.सं. 82/06

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

15–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा व प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डूंगरपुर में खाता

संख्या 1/1 आराजी नंबर 994 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादी का पिछले 30–35 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि के पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अनुसार हैं। प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतएवं वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 5 तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षों को सुनने के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29–02–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–03–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वादी/अपीलान्ट व उसके विक्रेता का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, जिससे अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का सहो विवेचन नहीं किया गया है। कथित जमीन से नगर पालिका का दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद को साबित नहीं मानकर खारिज करने में भारी भूल की है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे एवं अपीलान्ट/वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि बिलानाम होकर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होकर आबादी के मध्य में है, जिसकी खातेदारी अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती, न ही उक्त भूमि का आवंटन/नियमन ही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमि बिलानाम दर्ज है तथा आबादी क्षेत्र में स्थित होकर नगर पालिका सीमा में स्थित है। अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी चाहता है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 एवं आर.आर.डी. 14–06–2017 पेज 352 अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने के प्रावधान हैं। अपीलान्ट का यदि कब्जा है तो वह बतौर अतिक्रमी है और अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–02–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत............भू०प्र०अ० एवं पदेन रा०अ०अ०.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास ................................. प्रियंका जोधावत, आर०ए०एस० .............................
.................

पूनमचन्द लबाना पिता मावजी लबाना     बनाम    तहसीलदार भूमिधारक, तहसील
नि0 पुलिस लाईन के पीछे, डूंगरपुर     डूंगरपुर व अन्य

अपील नं०.......17/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत ...........उपखण्ड अधिकारी.....
............डूंगरपुर.......... मुकाम................मुवर्खे.............29...............माह...............02.
...........2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख........25....माह........04.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी.............श्री संजय बोहरा............मिनजानिब अपीलान्ट व...........श्री पंकज भटनागर

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 29–02–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X .....................................
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........25......माह.......04...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ........ .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ......... | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| .....<br>3. इजराय हुक्मनामा ..<br>.....<br>4. वकील फीस बाबत ....<br>.....<br>मीजान<br>..... | | | .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .<br>....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>.....<br>मीजान .<br>.... | | |

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।